



शैल

निष्पक्ष

एवं

निर्भीक

साप्ताहिक

समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक - 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 13 - 20 मार्च 2023 मूल्य पांच रूपए

2023-24 के लिए 53412.72 करोड़ रहेगा बजट का आकार

- वर्ष 2022-23 में 51364.76 करोड़ का पारित हुआ था और संशोधित अनुमानों में 4836.20 करोड़ बढ़ गया है राजस्व व्यय
- विकासात्मक बजट का आंकड़ा भी नहीं बदला है दोनों बार 9523.82 करोड़ रहा है
- क्या इन आंकड़ों के परिदृश्य में मुख्यमंत्री का विजिन आकार ले पायेगा?

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार के पहले बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई थी। क्योंकि जब से यह सरकार आयी है तब से प्रदेश के 75000 करोड़ के कर्ज और 11000 करोड़ की देनदारियों विरासत में मिलने

की बात लगातार करती

आयी है। वित्तीय

कुप्रबंधन का

आरोप लगाते हुये

यहां तक आशंका

व्यक्त की है कि प्रदेश

के हालात कभी भी श्रीलंका

जैसे हो सकते हैं। इस परिदृश्य में

यह स्वभाविक है कि यह सरकार कैसे

स्थिति से बाहर निकलती है इस पर

सबका ध्यान रहेगा ही। सरकार कैसे

प्रबन्ध करती है इसका प्रमाण केवल

बजट होता है। बजट सत्र में सबसे

पहले चालू वित्त वर्ष की अनुपूर्क मांगे

लायी जाती हैं। जब रैगुलर बजट में

किया हुआ वित्तीय प्रावधान कम पड़

जाये तो इसके लिये सदन में अनुपूर्क

मांगे रखी जाती हैं और सदन से पारित

करवाई जाती हैं। इस कड़ी में वित्त वर्ष

2022-23 के लिए 13141 करोड़ 07

लाख की अनुपूर्क मांगे सदन में लायी

और पारित की गयी है। जिनमें 11707

करोड़ राज्य योजनाओं और 1433 करोड़

9 लाख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु

प्रावधित किये गये हैं। यह अनुपूर्क

मांगे भी अन्त में वित्तीय वर्ष 2022-23

के आकार में जुड़ जायेगी। वर्ष

2022-23 के लिए सदन में 51364.

75 करोड़ के आकार का बजट प्रस्तुत

किया गया था। जिसमें कुल राजस्व

व्यय 40278.80 करोड़ था। अब

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह

स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022-23 के

लिये संशोधित व्यय 45115 करोड़ रहने

का अनुमान है। इस संशोधित अनुमान

के अनुसार वर्ष 2022-23 का खर्च

4836.20 बढ़ जाता है और इस तरह

कुल बजट का आकार 55700.95

करोड़ हो जाता है। संभव है कि 13000

करोड़ की अनुपूर्क मांगों के लेखे-जोखे

के बाद यह आकार और बढ़ जायेगा।

इसका अर्थ यह होगा कि सुक्खु सरकार

को वित्त वर्ष 2022-23, 55700.

95 करोड़ के खर्च वाला मिला है और

ऐसे में वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम

खर्च इतना तो रहेगा ही।

पहले से कम हो जाये और विकासात्मक

बजट का आकार पहले जितना ही रहे

तो देर सवेर इसका व्यवहारिक असर

जनता पर पड़ना शुरू हो जायेगा। क्योंकि

यह स्वभाविक होगा की बहुत सारी

चालू योजनाएं बिना घोषणाओं के

ही बन्द हो जायेगी और

उनके संभावित

लाभार्थियों में रोष पनपेगा

जो सरकार की सेहत

के लिए अच्छा नहीं

होगा।

क्योंकि मुख्यमंत्री के बजट

भाषण में जिस तरह का विजिन सामने

आया है और 90000 रोजगार पैदा

होने की बात की गयी है उससे बहुत

सारी उम्मीदें बंधी हैं। पर्यावरण की

सुरक्षा के लिये जिस तरह से ई-वाहनों

को प्रोत्साहित करने के लिये इतनी

बड़ी सब्सिडी घोषित की गयी है उसके

लक्ष्यों को बजट के इन आंकड़ों के

माध्यम से पूरा कर पाना संभव नहीं

होगा। क्योंकि जब बजट में प्रावधान

ही नहीं होगा तो कोई काम कैसे हो

पायेगा। सरकार के 53412.72 करोड़

के खर्च का जो ब्यौरा दिया गया है

उसमें 2021-22, 2022-23 और

2023-24 के आंकड़े मानकवार दिये

गये हैं उनको देखकर सरकारी क्षेत्र में

25000 नौकरियां दे पाने का वायदा

पूरा कर पाना संभव नहीं होगा क्योंकि

वैतन का आंकड़ा पिछले वर्ष 92.95%

था जो कि अब 91.27% रखा गया है।

ऐसे बहुत सारे मानक हैं जिनमें इस तरह

की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं।

इसलिये बजट के कुछ दस्तावेज पाठकों

की सामने यथास्थिति रखे जा रहे हैं

ताकि एक समझ बन सके।

राज्यपाल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट : जयराम

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता

ताकि इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल



होगी। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों से प्रत्येक स्तर पर सहयोग करने की अपील की है ताकि युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके।

राज्यपाल ने आज राजभवन में नशामुक्ति तथा नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक से संबंधित विषयों पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए पंचायती राज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। नशे के विरुद्ध आमजन में जागरूकता लाने के लिए अन्य सामाजिक संगठनों के साथ पुलिस बल का कर्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, नशीले पदार्थों की तस्करी को समाप्त करने के लिए सीमावर्ती राज्यों के पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है,

का पदभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान भी उनकी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य पुलिस विभाग द्वारा प्रतिदिन लगाए जाने वाले नाकों के दौरान नशीले पदार्थों को पकड़ने पर सन्तोष जताते हुए कहा कि विभाग नशाखोरी तथा इसके दुष्परिणामों के बारे में समाज को जागरूक कर रहा है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए जाना जाता है तथा यह राज्य की आर्थिकी का अभिन्न अंग है लेकिन पर्यटन की आड़ में प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी को सहन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी अब एक संगठित अपराध की तरह संचालित की जा रही है और पुलिस को नशे के सरगनाओं को पकड़ने के लिए और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत पुलिस को राज्य की सीमाओं पर

आकस्मिक जांच को और तेज करना चाहिए।

उन्होंने नशीले पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान 'प्रधाव' आरम्भ करने के लिए राज्य सीआईडी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता लाने में प्रभावी सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पुलिस विभाग द्वारा आरम्भ किए गए 'प्रधाव' अभियान के तहत सुझाए गए पांच समाधान भी जारी किए।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंड़ ने इस विषय पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में पुलिस बल को इस गंभीर मद्दे को सुलझाने में नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त होगी। उन्होंने राज्यपाल को नशीले पदार्थों और अवैध नशा तस्करी पर रोक के सम्बन्ध में पुलिस बल द्वारा उठाये गए कदमों और किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी अवगत करवाया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी ने राज्य में नशीले पदार्थों के उपयोग और अवैध तस्करी की समस्या के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने 'प्रधाव अभियान' के बारे में जानकारी प्रदान की।

बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों के 10 पुलिस अधीक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए की गयी तैयारियों व चुनौतियों के बारे में अवगत करवाया।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का बजट एक दृष्टिहीन और दिशाहीन बजट है अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह बजट अपने आप में एक खोखला बजट है।

उन्होंने कहा कि बजट में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया गया है और उन योजनाओं में जितनी भी राशि हिमाचल प्रदेश को आ रही है उसे प्रदेश केवासियों को वितरित किया गया है, पर पूरे बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया गया।

जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र बजट की योजनाओं का लाभ उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी उनको करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, वह शिव धाम की बात कर रहे हैं पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि शिव धाम के लिए पहले से 40 करोड़ का टेंडर हो चुका है और उसका काम भी चल रहा है पर अब शिवधाम के लिए यह सरकार पैसा बजट के माध्यम से आवंटित नहीं कर रही है।

यह पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वह भाजपा सरकार की किसी भी योजना को पूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं।

जिस ग्रीन कॉरिडोर रूट की बात कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है बहुत लंबा है और उसमें बहुत समय लगेगा, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात

भी इस सरकार ने की है, पर यह बसें महंगी होती हैं उनको इतनी बड़ी तादाद में खरीदने के लिए बहुत समय लगेगा।

पर्यटन की दृष्टि से इस कांग्रेस की सरकार ने 1300 करोड़ की घोषणा की है पर यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पर्यटन के लिए एडीबी के माध्यम से 2100 करोड़ लाये थे पर उसमें



से केवल इस सरकार ने 1300 करोड़ ही आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ब्लक ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क लाया है पर इस सरकार ने अपने बजट प्रावधान में इन बड़ी योजनाओं को आगे ले जाने के लिए क्या किया है, यह बजट गोलमोल है स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा कि बजट में मंडी एयरपोर्ट को लेकर भी इस सरकार को प्रावधान करना चाहिए था, मंडी एयरपोर्ट का काम काफी आगे बढ़ चुका है पर इसको लेकर भी सरकार गोलमोल बातें ही कर रही है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण अभियान आरंभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बोर्ड के मुख्यालय से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण अभियान का शुभारंभ किया। यह वैन हिमाचल प्रदेश सचिवालय तथा शिमला शहर के अन्य भागों से ई-अपशिष्ट एकत्रित करेगी।

उन्होंने कहा कि ई-अपशिष्ट के उचित निष्पादन की महत्ता के बारे में जागरूकता लाने तथा लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन मैसर्स करो संभव, के साथ संयुक्त तत्वावधान में 14 से 25 मार्च, 2023 तक ई-वेस्ट एकत्रीकरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

मोबाइल वैन दो दिन यानी 14 तथा 15 मार्च, 2023 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में उपलब्ध रहेगी तथा इसके उपरान्त 16 से 25 मार्च, 2023 के दौरान शिमला शहर के न्यू

शिमला - विकासनगर बस स्टॉप, कसुम्पटी बस स्टॉप, देवनगर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, संजौली पार्किंग, भटाकुफर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी उपलब्ध रहेगी। यह अभियान ई-अपशिष्ट केयोस्क के बारे जागरूकता लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।

ई-अपशिष्ट में अनुपयोगी या निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिक उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले विषैले पदार्थों के कारण उचित निष्पादन न किए जाने की स्थिति में ई-अपशिष्ट पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान एकत्रित किया गया यह अपशिष्ट वैज्ञानिक निष्पादन के लिए संबंधित स्थानों पर भेजा जाएगा जहां इसे विघटित कर पुनः उपयोग के काबिल बनाया जाएगा।

तीन माह के लिए निःशुल्क होगा ऑनलाइन आधार अपडेशन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार दस्तावेज को ऑनलाइन अद्यतन (अपडेट) करने संबंधी सेवा तीन माह के लिए निःशुल्क की गयी है।

उन्होंने कहा कि विगत आठ से 10 वर्षों के अंतराल में जिन नागरिकों ने अपना आधार नवीनीकरण नहीं करवाया है, उन्हें अपनी पहचान एवं पते से संबंधित दस्तावेज व प्रमाण-पत्र अपलोड करने होंगे। इसके लिए आधार सेवा केंद्र में 50 रुपये शुल्क देय है, मगर नागरिकों को राहत प्रदान करते

हुए प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन आधार अपडेशन सेवा तीन माह तक निःशुल्क की गयी है। कोई भी नागरिक 15 मार्च से 14 जून, 2023 तक इस सेवा का लाभ उठाते हुए अपना ऑनलाइन आधार अपडेशन निःशुल्क करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा myaadhaar.uidai.gov.in और mAadhaar app पर उपलब्ध है। उन्होंने आग्रह किया कि इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी नागरिक आगे आए तथा अपने मोबाइल नंबर भी आधार में अपडेट करवाना अवश्य सुनिश्चित करें।

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में नवोन्मेषी प्रयासों की सराहना की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राज्य में प्राकृतिक खेती

रसायन मुक्त कृषि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य



खुशहाल किसान योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में प्राकृतिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी हुई है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ कृषि प्रौद्योगिकी विकास में भागीदारी, इनकी ब्रैंडिंग और पैकिंग विकास तथा छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए फेलोशिप कार्यक्रम जैसे नवोन्मेषी कदम प्रभावी साबित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश

की दृष्टि से सर्वोत्तम कृषि उत्पाद, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम भी सुनिश्चित किए जा सकें।

विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में किसान प्राकृतिक खेती पद्धति अपना रहे हैं और इस तकनीक के माध्यम से अभी तक 19,320 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1.59 लाख किसान एवं बागवान विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।

कृषि सचिव राकेश कंवर ने राज्यपाल को प्राकृतिक खेती खुशहाल

किसान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान प्रमुख रूप से इस पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 के उपलक्ष्य में राज्यपाल को विभाग द्वारा तैयार टेबल कैलेंडर, व्यंजन विधि पुस्तिकाएं तथा विवरणिकाएं भी भेंट की।

इस अवसर पर प्राकृतिक खेती की राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मनोज गुप्ता ने योजना पर प्रस्तुति दी और राज्यपाल को इसकी प्रगति और प्रभावों से अवगत करवाया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, प्राकृतिक खेती के राज्य परियोजना निदेशक नरेश ठाकुर, कृषि निदेशक डॉ.राजेश कौशिक, संयुक्त निदेशक रविंदर सिंह जसरोटिया सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल संपादक - बलदेव शर्मा सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज विधि सलाहकार: ऋचा

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 804 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजे वितरित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में



उन्होंने भूमि मुआवजा, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की मंजूरी से संबंधी मामलों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही अन्य बाधाओं के समाधान पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एक माह के भीतर 804 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजे का वितरण करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 27 मार्च, 2023 तक लगभग 750 करोड़ रुपये के शेष मुआवजे के मामलों की वितरण प्रक्रिया को पूरा करने पर भी विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कों परिवहन का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग

परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे और स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का निपटारा प्रतिबद्धता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के सुचारू

कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया में तेजी लायी जा रही है जिससे राज्य के लोगों के साथ-साथ प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एफआरए-एफसीए स्वीकृति संबंधी मामलों की हर 15 दिनों में निगरानी कर इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में हृदय प्रगति की समीक्षा के लिए 27 मार्च, 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने शिमला-मटौर सड़क, पठानकोट-मंडी सड़क, शिमला बाइपास और लपजौर-बढ़ी-नालागढ़ सड़क की प्रगति की भी समीक्षा की और परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा

कि बीहरू-लठियाणी सड़क के लिए 900 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 20 फरवरी, 2023 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और 31 मार्च, 2023 तक इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़क व्यवस्था के सुधार और परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने में यह सड़क विकास परियोजना मददगार साबित होगी।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2023 तक सैज-लूहरी-जलोड़ी सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलोड़ी सुरंग के निर्माण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा तथा नालागढ़-स्वारघाट सड़क, ऊना बाईपास और पंजाब की सीमा से नांदेन तक सड़क निर्माण को शुरू किया जाएगा। यह परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेगी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार), गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, एनएचआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश 2023-24 में 11840 करोड़ ऋण लेने की ओर अग्रसर: अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनता को गुमराह



करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो विजन है ना डायरेक्शन है।

हमीरपुर से सांसद ठाकुर ने कहा, “जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आयी है तब से विकास के सारे कार्य ठप हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का यह बजट पूरी तरह दिशाहीन है। कांग्रेस का यह बजट नीयत और नीति विहीन है। इस बजट में मात्र भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया गया है। हिमाचल की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना, सहारा योजना, हिम केयर योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के ऊपर चुप्पी का मतलब है कि इस बजट में इन योजनाओं के लिए कोई प्रवर्धन नहीं किया गया।

कांग्रेस पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए ठाकुर ने कहा, “आज बजट घोषणा में इन्होंने

हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की बात की है। इसकी भी देनदारी के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं दिखता। जब यह सरकार बनी थी तो हिमाचल की 32 लाख महिलाओं की बात की जा रही थी। इससे पता चलता है कि यह सरकार लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है। उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा बजट में केंद्र सरकार के बजट की नकल करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्रीय बजट में पूरे भारत में 197 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। इसका श्रेय राज्य की कांग्रेस सरकार लेना चाहती है। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर भी केंद्र सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री ग्रीन एनर्जी की घोषणा कर इसका भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बजट में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ठाकुर ने कहा, “राज्य सरकार के बजट में कहीं भी गोबर खरीदने, दूध खरीदने या 300 यूनिट फ्री बिजली का जिक्र नहीं किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2023-24 में 11840 करोड़ का ऋण लेने की ओर अग्रसर है, इस ऋण के पैसे में से पुराना ऋण चुकाने और ब्याज पर हिमाचल प्रदेश का 11068 करोड़ खर्च होगा और अगर लोन की गति इसी प्रकार से रही, तो अगले साल तक हिमाचल प्रदेश पर 84000 करोड़ से ज्यादा का ऋण होगा। ब्याज पर हिमाचल प्रदेश सरकार का 5562 करोड़ और लोन की किस्त देने पर 5506 करोड़ रुप खर्च होने जा रहा है जिसका कुल जोड़ 11068 करोड़ है।

प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल: डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम



शांडिल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमयाणा में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के

सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। इस उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमयाणा में अत्याधुनिक तकनीक के

लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने अस्पताल के स्टॉफ, रोगियों व उनके परिजनों की सुविधा के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था करने के लिए विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस अस्पताल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक सुझाव दिए।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमयाणा के प्रधानाचार्य डॉ. रजनीश पठानिया, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ललित, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल रॉय, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में उपचाराधीन रोगियों को बेहतर व गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने

के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने अस्पताल के स्टॉफ, रोगियों व उनके परिजनों की सुविधा के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था करने के लिए विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सौहार्दपूर्ण संबंध वाले समाज के निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस अभियान में सहयोग देने के लिए 25 मार्च को रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे के मध्य एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद करने का आग्रह किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने

कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में छह ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

बीड़-बिलिंग में अप्रैल में आयोजित होगा पैराग्लाइडिंग प्री-विश्व कप

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने बीड़ में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग प्री-विश्व कप के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। किशोरी लाल ने कहा कि हिमाचल के कांगड़ा स्थित बैजनाथ के में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में लंबे अंतराल के बाद अप्रैल माह में पैराग्लाइडिंग प्री-विश्व कप का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग में एक बार फिर विश्वभर के मानव परिदे हवा में उड़ते नजर आएंगे। सीपीएस ने कहा कि पैराग्लाइडिंग से बैजनाथ क्षेत्र को विश्व में पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग प्री-विश्व कप में बैजनाथ में दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके आयोजन से विश्वभर में हमारे क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध होगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपना सहयोग दें।

सीपीएस ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विजन है कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप विकसित किया जाए। उनके इस विजन को साकार करने में यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, विशेषकर जिले को साहसिक पर्यटन का हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग से संबंधित जो मुद्दे होंगे उन्हें सरकार

के समक्ष रखा जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव ने बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग स्कूल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीपीएस ने कहा कि बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग स्कूल प्रशिक्षण देने वाला विश्व का पहला संस्थान होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पैराग्लाइडर पायलटों के प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं क्षेत्र में पर्यटन को नए पंख लगेगे।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पैराग्लाइडिंग स्कूल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया जाएगा।

इसके उपरान्त बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के निदेशक अनुराग शर्मा ने कहा कि पैराग्लाइडिंग प्री-विश्व कप का शुभारंभ 5 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली करेंगे तथा समापन समारोह 9 अप्रैल को होगा।

उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी स्थानीय संस्कृति को विश्व भर से आये मेहमानों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान एयरो और फ्लॉवर शो का भी आयोजन किया जाएगा।

अनुराग शर्मा ने कहा कि बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में दूसरे और एशिया में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से 125 पैराग्लाइडिंग के प्रतिभागी यहां पैराग्लाइडिंग करने के लिए आएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक 95 पैराग्लाइडिंग के पायलटों ने पंजीकरण करवा दिया है।

जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छाशक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदाईं बने उसी का नाम है शिक्षा।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

सुख्खु सरकार के सौ दिन



कांग्रेस की सुख्खु सरकार को सत्ता संभाले सौ दिन हो गये हैं। वैसे तो पांच वर्ष के लिये चुनकर आयी सरकार पर सौ दिनों में ही कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती। लेकिन सरकार ने जिस तरह से सौ दिनों के फैसलों, योजनाओं और नीतियों को लेकर एक लम्बा चौड़ा

विज्ञापन जारी किया है उसको सामने रखते हुए इन सौ दिनों का आकलन करना आवश्यक हो जाता है। विज्ञापन में जो दावे किये गये हैं उनका पूरा होना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बजट दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2023-24 के कुल बजट का आकार पिछले वर्ष से कम है। जबकि सरकार ने तीन हजार करोड़ के कर लगाकर अपनी आय बढ़ाई है। वर्ष के विकासात्मक बजट का आंकड़ा बीते वर्ष जितना ही है। बजट के इन मोटे तथ्यों के परिदृश्य में कैसे यह दावे वायदे पूरे किये जाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार ने सत्ता संभालते ही पिछली सरकार के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाना और कर्ज तथा देनदारियों के आंकड़े जारी कर इस आरोप को सही ठहराने का प्रयास शुरू कर दिया है। बजट और वित्तीय कुप्रबंधन का जिक्र करना इसलिये आवश्यक हो जाता है कि जो सरकार ऐसी वित्तीय स्थिति के चलते अपने बजट का आकार तक न बढ़ा पाये उसे सबसे पहले अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी पड़ती है। लेकिन इस सरकार ने जिस मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों की है और कैबिनेट दर्जा देते हुए अन्य नियुक्तियों की है वह सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को सीधे स्पष्ट कर देता है। बल्कि इसी के कारण सरकार पर यह आरोप लगा है कि यह मित्रों दोस्तों की सरकार है। यह सही है कि कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया है तब उसकी सरकार बनी है। लेकिन इस बहुमत के बदले में यदि जनता को करों का ही बोझ मिलेगा और अपने मित्रों के अलावा अन्य के हितों का ख्याल नहीं रखा जायेगा तो जनता बहुत देर तक उसे सहन नहीं कर पायेगी। पिछली सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों को यह सरकार इसलिये जारी नहीं रख पायी क्योंकि उससे खजाने पर पांच हजार करोड़ का बोझ पड़ रहा था। जब यह स्थिति है तो क्यों सरकार द्वारा की गयी नियुक्तियां अपने में विरोधाभास नहीं पैदा कर देती है। कई लोगों पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गये हैं क्योंकि हर आदमी चीजों पर नजर रख रहा है। फिर यह तो प्रदेश ही छोटा सा है और सरकार का सचिवालय भी छोटा सा है। फिर विपक्ष लगातार सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाने लग पड़ा है। क्योंकि अभी तक मंत्रिमण्डल के खाली पदों को भरा नहीं जा सका है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के साथ मंत्रिमण्डल में सन्तुलन नहीं बन पाया है। जातीय सन्तुलन को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। प्रशासन कितना सुचारू रूप से चल रहा है वह प्रधान निजी सचिव के पत्र से सामने आ चुका है। आज हर सवाल को व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर टाला जा रहा है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन से सरकार का अभिप्राय क्या है इसे सरकार का कोई भी आदमी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। पिछले सौ दिनों में प्रशासन को लेकर सरकार का जो नजरिया सामने आया है उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे यह तय है। क्योंकि जिस विपक्ष को मुद्दे तलाशने में समय लगता था उसे इस सरकार ने पहले दिन से ही मुद्दों से लैस कर दिया है।

पत्रकारिता के धर्म को समझें और विभाजनकारी तथ्यों को साझा करने से बचें



गौतम चौधरी

भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यही नहीं यहां किसी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र का प्रभाव व्यापक हो ही नहीं सकता है क्योंकि भारत अपने आप में विविधताओं को समेटे हुए है। भारत केवल विविधताओं वाला देश ही नहीं है, यहां की सभ्यता पुरानी है और यह बहुसांस्कृतिक देश है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जहां इतने प्रकार की संस्कृति हो फिर भी एक-दूसरे के प्रति कोई खास गतिरोध नहीं हो। बहुसांस्कृतिक राष्ट्र से हमारा मतलब भारत का अपना कोई आधिकारिक संस्कृति भी नहीं है। भारत की सत्ता लोकतांत्रिक है और सरकार के द्वारा किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

दरअसल, अभी हाल ही में सियासत अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने 'हेट ट्रैकर 2022' शीर्षक से एक रपट छपी है। उस रपट में देशभर में मुस्लिम विरोधी घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस रपट के विश्लेषण में कहा गया है कि देश में वर्ष 2022 के अंत तक धार्मिक असहिष्णुता में बढ़ोतरी हुई है। धार्मिक असहिष्णुता की मानसिकता मजबूत हुई है। इसी से मिलती जुलता एक रपट भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल ने अपने फेसबुक पेज पर भी साझा किया है। इस प्रकार की गतिविधि से यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता में बढ़ोतरी हुई है। अखबर द्वारा प्रकाशित इस प्रकार की नकारात्मक सुर्खियां हमारे संविधान की मूल अवधारणा पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन कई बड़े राज्यों में विरोधियों की सरकार है, जिसे मुस्लिम नेता अपनी हिमायती बताते रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भी महागठबंधन की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में भाजपा की घुर विरोधी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भाजपा विरोधी दलों की सरकार है। इस प्रकार देशा जाए तो फिलहाल देश के अधिकतर भूभाग पर केन्द्र में सत्ता संभाल रही भाजपा के विरोधियों की सरकार है। भारत के संविधान के अनुसार यह देश केवल लोकतांत्रिक ही नहीं गणतांत्रिक भी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था केन्द्र नहीं, राज्य सरकारों के

पास है। यदि केन्द्र में सत्ता का संचालन कर रही भाजपा मुस्लिम विरोधी है और इसके कारण देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल मजबूत हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। अधिकतर राज्य में दूसरे दलों की सरकार है और ऐसे में यदि देश में मुस्लिम विरोधी माहौल बन रहे हैं तो देश की जनमन को समझने की जरूरत है। यह उन लोगों के लिए भी एक सीख है, जो आगे बढ़कर ऐसे मामले के प्रचार का हथियार बन रहे हैं और देश की छवि को खराब कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का कुल लव्बोलुआब यही है कि विविध पार्टियों की सरकार ने भी इस मानसिकता को रोकने का प्रयास नहीं किया है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बन रही है। ऐसे में मुखर अल्पसंख्यकवादियों को भी अपने गिरेवांन में झाकना चाहिए।

इन दिनों एक बात और ध्यान में आयी है। खासकर अल्पसंख्यकों के मामले में यदि बात हो तो सकारात्मक खबरों की तुलना में नकारात्मक खबरें ज्यादा चलायी जा रही है। हमें इस मानसिकता की भी पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि समाचार माध्यमों के पास नकारात्मक खबरें ही ज्यादा हैं। इन दिनों हत्या, आपसी विवाद, सेक्स, राजनीति, अपराध आदि की खबरें समाचार माध्यमों में खूब सुर्खियां बटोड़ रही है जबकि विकास, मौसम, कृषि, आधारभूत संरचना, शोध आदि की खबरें बेहद सीमित संख्या में उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारे देश का समाचार माध्यम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझने में नाकाम है। समाचार माध्यमों की समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उससे वह अपना पिंड छुड़ाता दिख रहा है और केवल टीआरपी व प्रसारन की अंधी दौड़ में अपना सबकुछ गमाने में लगा है। विशेष रूप से धार्मिक अतिवाद से संबंधित घटनाओं पर समाचार माध्यमों की रिपोर्टिंग बेहद नकारात्मक होती जा रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं बहुसंख्यकों के खिलाफ भी तो हो रही है। यदि झारखंड की घटनाओं का ही ब्योरा प्रस्तुत किया जाए तो चैकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। विगत दो वर्षों में 10 से अधिक बहुसंख्यक महिलाओं को एक खास समुदाय के द्वारा बड़ी बेरहमी से हत्या की गयी है। एक खास समुदाय के द्वारा अभी हाल ही में रांची शहर में मॉब लिचिंग की घटना हुई। हालांकि प्रशासन के द्वारा उसे दबाने की पूरी कोशिश की गयी है, बावजूद इसके उसके परिवार वाले लगातार मॉब लललचग की बात दोहरा रहे हैं। जिस प्रकार सामान्य व्यवहार या एक अपराधी के द्वारा की गयी घटना के रूप में बहुसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लिया जाता है, उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को भी लिया जाना चाहिए। इस मामले में न तो कोई राजनीति होनी चाहिए और न ही पूर्वाग्रह। जब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक आबादी के वर्चस्व के बारे में घटनाओं को संकलित और उजागर

किया जाता है तो मामले को कट्टरता के साथ जोड़ दिया जाता है लेकिन वही घटना बहुसंख्यकों के खिलाफ अल्पसंख्यकों के द्वारा की जाती है तो उसे सामान्य अपराधिक घटना मानने के लिए बाध्य किया जाता है। यह कैसे हो सकता है। समाचार माध्यमों का मापदंड समान होना चाहिए। रचनात्मक आलोचना को महत्व दिया जाना चाहिए। विनाशकारी आलोचना केवल सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है। मीडिया की भूमिका समाज व देश हित में होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने में मदद करनी चाहिए कि भारत का संविधान जब तक जिंदा है तब तक इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है। कुछ गलतियों को आप उदाहरण नहीं बना सकते हैं।

नकारात्मक संदेश केवल युवाओं को गलत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके कई उदाहरण हैं। इस बात की चर्चा दुनिया भर में होती है कि भारत विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है, जहां किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई व्यक्ति दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता है। समाज की अधिक सटीक समझ प्राप्त करने के लिए, हमें सफलताओं और असफलताओं दोनों को पहचानना होगा। प्रहरी रहते हुए, मीडिया के पास अब प्रगति और सद्भावना पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका तात्पर्य केवल खुशनुमा कहानियों को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक विकास की कवरेज करना है। नागरिकों के जीवन, समुदायों, समाजों और सरकारों में सर्वोत्तम निर्णय लेने की छमता का भी तसल्ली से प्रचार करने की जरूरत है। पत्रकारिता को इस क्षेत्र में भी अपना काम करना होगा। केवल नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके और प्रगति, सहिष्णुता व समाज में बढ़ रही एकता की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल, इससे पत्रकारिता का मूल भाव पत्रकारिता से दूर होता जा रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है- "हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित करने और अपने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं।" संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमेशा बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों के पक्ष में खड़ा रहता है, चाहे उनका धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, जाति कुछ भी हो। अब देश के भीतर स्थित संगठनों और देश के बाहर स्थित लोगों की जिम्मेदारी है कि वे विभाजन एवं पृथक्तावादी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने से बचें। ऐसी सामग्री साझा न करें जिससे आपसी वैमनस्यता का विकास हो और धार्मिक सद्भाव तिरोहित हो। हमें समझ लेना चाहिए कि इस तरह की सामग्री केवल देश और उसके नागरिकों के विकास में बाधा पहुंचाने के लिए ही प्रस्तुत किए जाते हैं।

तितलियों की प्रजातियों की डॉक्यूमेंटेशन कर स्थापित किया वन संग्रहालय

शिमला। तितलियाँ हमारे पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये प्राकृतिक भोजन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परागीकरण में सहायक हैं, और तितलियों की संख्या सीधे तौर पर जैव विविधता की पूरक है। जितनी ज्यादा तितलियाँ हमारे आस-पास होंगी उतना ही अच्छा और मजबूत हमारा पारिस्थितिक तंत्र होगा। प्रकृति प्रेमियों के लिए तितलियाँ जीवन का आधार हैं, जिन्होंने धरती पर जीवन को बनाए रखने में अपना अनमोल योगदान दिया है। तितलियों के संरक्षण और उनकी प्रजातियों को दूढ़ने के लिए जिला चंबा में वन मंडल डलहौजी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र भटियात में वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने अपनी एक नई पहल शुरू की है। वन परिक्षेत्र भटियात की सीमा के तहत लगभग 120 प्रकार की तितलियाँ पायी जाती हैं। जिसमें से वन परिक्षेत्र भटियात द्वारा 57 प्रजातियों की खोज कर ली है। 57 प्रजातियों के छायाचित्रों का संकलन पर परिक्षेत्र स्तर पर वन संग्रहालय बनाया गया है। जो शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इनमें से डेनैड एगफलाई (danaid eggfly) तितली ऐसी है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची - 1 में शामिल है। खोजी गई तितलियों के नामों का वैज्ञानिक नामकरण में तितली विशेषज्ञ लविश गरलानी की अहम भूमिका रही है। तितलियों की डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण व पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाता है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार को तितलियों के संरक्षण का विचार तमिलनाडु वन अकादमी कोयमटूर में 18 महीने के वन परिक्षेत्र

अधिकारी प्रशिक्षण कोर्स के दौरान उजागर हुआ। उसके उपरांत उन्होंने जुलाई 2021 में भटियात वन परिक्षेत्र में तितलियों के संरक्षण पर कार्य करना शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वनों में वन्य प्राणियों को सुरक्षित करना और लोगों को जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रेरित करना है ताकि तितलियों जैसे अन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके।

वन मंडल अधिकारी डलहौजी कमल



भारती बताते हैं कि वन परिक्षेत्र भटियात के वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम द्वारा इस क्षेत्र में पायी जाने वाली तितलियों की प्रजातियों की जानकारी और उन पर शोध किया गया। टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर तितलियों की प्रजातियों को दूढ़कर उनकी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन के उपरांत उन्होंने एक वन संग्रहालय की वन परिक्षेत्र कार्यालय के परिसर में की स्थापना की जिसमें इन तितलियों की प्रजातियों की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को इस वन संग्रहालय का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा किया गया है।

वन संग्रहालय में कुछ जंगली फलों को भी रखा गया है जिनसे तितलियाँ भोजन इत्यादि प्राप्त करती हैं। इस क्षेत्र में लगभग 120 तितलियों की प्रजातियाँ अनुमानित हैं, जिसमें से 57 प्रजातियाँ की डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस शोध को आगे भी जारी रखा जाएगा और साथ ही इस वन संग्रहालय को बच्चों के लिए भी

खुला रखा गया है ताकि बच्चे भी इन तितलियों की प्रजाति की जानकारी हासिल कर सकें। आने वाले समय में वनों से उत्पन्न होने वाली वन उपज, जंगली जड़ी-बूटियों, अन्य वन्य प्राणियों की तस्वीरों को भी अंकित किया जाएगा। इस वन संग्रहालय को एक केंद्रीय और जागरूकता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि स्कूलों व राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को जानकारी उपलब्ध करवाएगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि 2022 से उन्होंने वन्य प्राणियों पर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य शुरू किया जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम तितलियों पर डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू किया।

तितलियों की डॉक्यूमेंटेशन में विशेषज्ञ राय तितली विशेषज्ञ लविश गरलानी की है। उन्होंने बताया कि इस वन परिक्षेत्र में 500 से लेकर 3500 मीटर ऊंचाई तक तितलियाँ पायी जाती हैं। जिसमें से 120 तितलियों की प्रजातियों का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 4 माह के भीतर 57 तितलियों की डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। वे बताते हैं कि वन संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य लोगों वन्य प्राणियों, वन संरक्षण, जैव विविधता के प्रति जागरूकता लाना है। संजीव कहते हैं कि तितलियाँ हमारी राष्ट्रीय संपदा हैं, जैव विविधता में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिसमें तितलियाँ भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 120 प्रजातियाँ की डॉक्यूमेंटेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उनका कहना है कि तितलियों का पर्यावरण में पॉलिनेशन में अहम योगदान है। माना जाता है कि जहाँ पर तितलियाँ पायी जाती हैं वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) बेहतर रहता है। तितलियाँ जंगली पौधों की पॉलिनेशन में भी अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, जो पौधों की प्रजातियाँ स्वतः होने की कगार पर होती हैं उनकी पॉलिनेशन में भी सहायता करती हैं।

संजीव बताते हैं कि तितली की प्रजातियों को डॉक्यूमेंट करने का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों को जंगलों में आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि

तितलियाँ जंगलों में विशेष स्थान पर रहती हैं अगर जंगलों में आग लगती है तो तितलियों के होस्ट प्लांट जहाँ पर वह अंडे देती हैं और खाना खाने वाली जगह अगर आग से खत्म हो जाती है तो यह प्रजाति स्वतः में आ सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि होस्ट प्लांट वे जगह होती है जहाँ पर तितलियाँ रहती हैं और अपने अंडे देते हैं होस्ट प्लांट जंगली बेर इत्यादि रहते हैं।

तितली विशेषज्ञ लविश गरलानी कहते हैं कि वे पिछले 12 सालों से तितलियों की प्रजातियों पर कार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य कार्य तितलियों के लारवा व होस्ट प्लांट इंटरैक्शन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में सिहूता में वाइल्ड भटियात नाम का एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गयी। जिसमें तितलियों की प्रजातियों की डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर हिमाचल का 100 साल पुराना तितलियों पर आधारित इतिहास देखा जाए तो उसमें 430 के लगभग प्रजातियाँ संभावित हैं। अगर भटियात क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में 120 से लेकर 130 तक संभावित प्रजातियाँ तितलियों की पायी जाने की संभावना है। भटियात में अभी तक 57 तितलियों की प्रजातियों की डॉक्यूमेंटेशन कर ली गयी है जिसमें से 30 तितलियों की तस्वीरों को वन संग्रहालय में रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि डेनैड एगफलाई (danaid eggfly) तितली ऐसी है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची - 1 में शामिल है।

प्रदेश में सशक्तिकरण एवं क्रमिक विकास पर केंद्रित होगी शिक्षा

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में आधुनिक सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के संकल्प को सिद्ध करने की राह प्रशस्त की है। समावेशी शिक्षा एवं उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करने के दृष्टिगत इसमें नई पहलें की गयी हैं। इसमें मेधावी छात्रों को 10 हजार टैबलेट देने की बात है, वहीं प्रारंभिक स्तर पर 17,510 नियमित शिक्षकों को भी यह टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से सभी को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्रदान करते हुए एक समतामूलक एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवंत समाज का विकास करना है। इसके अतिरिक्त बजट में 762 विद्यालयों को आईसीटी योजना के अंतर्गत डिजिटलाइज़ किया जाएगा।

कांग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र में उल्लेखित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक शिक्षा की गारंटी को मूर्त रूप प्रदान करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव इस बजट में है। सरकार की यह पहल बच्चों की सीखने की क्षमता में और सुधार करते हुए उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करेगी, जहाँ शिक्षा के साथ-साथ इनडोर एवं आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना होगी। इसके साथ ही उन्हें अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल और अत्याधुनिक क्लाइम्बिंग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा हमें विश्व के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को विकसित करते हुए एक नई दिशा

देती है। राष्ट्र के क्रमिक विकास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उनका कहना है कि शिक्षा हमारा व्यक्तित्व विकास करते हुए समाज के सही संचालन में मदद करती है। इसके साथ ही यह गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अच्छी किताबों तक छात्रों की पहुँच आसान बनाने तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर पठन-सामग्री उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत प्रत्येक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। विशेष तौर पर राज्य के उन खंडों में इनकी स्थापना की जाएगी, जहाँ यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

राज्य में व्यवसायिक शिक्षा के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और बहुतकनीकी संस्थानों में बाजार आधारित रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात भी की है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि इस विश्व को एक खूबसूरत जगह बनाने तथा देश के समग्र विकास के लिए समुचित शिक्षा अनिवार्य है। उनका कहना है कि शिक्षा हमें सशक्त करती है और आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाती है। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने इस बार शिक्षा के लिए 8,828 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस, कृत्रिम मेधा (ए.आई.), मशीन लर्निंग इत्यादि नए मूल्यवर्द्धक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। निश्चित ही राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों के समावेश से यह युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने में सफल सिद्ध होगा।

हिमाचल एक पसंदीदा पर्यटन गन्तव्य स्थल पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को मिलेगा संबल

शिमला। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक गोल्फ कोर्स स्थापित करने तथा बनरवंडी (देहरा) में एक चिड़ियाघर बनाने की घोषणा भी की है। इनके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्ताव में 300 करोड़ रुपये की लागत के चिड़ियाघर के लिए प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से राज्य में पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास पर 1311 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य में प्रस्तावित अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के प्रथम चरण में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1311.20 करोड़ रुपये की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में भी सफल रही है।

इसके अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर जिला को 257 करोड़ रुपये,

कुल्लू जिला को 229 करोड़ रुपये, शिमला को 123 करोड़ रुपये तथा मंडी जिला को 138 करोड़ रुपये व्यय कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाएंगे। इसके तहत मंडी के शिव धाम का विकास, मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिक, शिमला में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिक का उन्नयन किया जाएगा।

प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पर्यटकों को हवाई सुविधा के बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों के निकट हेलीपोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फ्लैगशिप योजना को लागू करने के लिए सभी उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में हेलीपोर्ट निर्माण संबंधी कार्य करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने को कहा गया है।

उन्होंने संजोली और बद्दी हेलीपोर्ट से हेली-टैक्सी सेवा शीघ्र शुरू करने की भी घोषणा की है। हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊना जिलों में वर्षभर हवाई सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए हेलीपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में इन हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई अन्य आपात स्थितियों

में भी मदद मिलेगी। यह मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बचाव स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और संकट के समय राहत प्रदान की जा सकती है।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश में 'पर्यटन ग्राम' स्थापित किए जाएंगे। इनमें सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, संगीत आदि को प्रदर्शित करने और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए सप्ताह भर संचालित होगा।

प्रदेश सरकार राज्य के जलाशयों में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने पर दृढ़ता से कार्य विचार कर रही है।

राज्य सरकार पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज, यॉच और शिकारा का संचालन शुरू करेगी। इसके अलावा मनाली में रोलर स्केटिंग व आइस स्केटिंग रिक खोले जाएंगे और शिमला में मौजूदा रिक का नवीनीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार का धौलाधार रेंज के बेस कैंप में 'टेंट सिटी' बनाने का भी प्रस्ताव है। 'टेंट सिटी' परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि और सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त 200 से अधिक शिविर होंगे।

वर्ष 2023-24 के लिये 53,412.72 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित

1. Green Energy का विस्तार

⇒ हिमाचल प्रदेश का 31 मार्च, 2026 तक Green Energy State के रूप में विकास।

⇒ वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने का लक्ष्य।

⇒ प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की 54 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान।

⇒ हिमाचल प्रदेश को 'Model State for Electric Vehicles' के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

⇒ प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवम् राज्य उच्च मार्गों का electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकास।

⇒ Private Bus Operators को e-bus, तथा Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान।

Private Operators को Charging Station स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान।

⇒ हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीजल बसों को ई-बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यय।

⇒ 20 हजार मेधावी छात्रों को Electric Scooty पर 25 हजार रुपये तक का उपदान।

⇒ हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था बनाने के लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी।

⇒ हाईवोल्टेज पावर में 1,000 मेगावाट के प्रोजेक्टों का कार्य पूरा।

⇒ प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों में विकसित किया जाएगा।

⇒ विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से "हिमाचल प्रदेश पावर सैक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम" आरम्भ किया जाएगा।

⇒ HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 EHV सब-स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाईनों व एक 'संयुक्त नियंत्रण केन्द्र' के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

⇒ ऊर्जा के क्रय-विक्रय के दक्ष प्रबन्धन हेतु 'Centralized Cell' स्थापित किया जाएगा।

2. पर्यटन विकास

⇒ मंडी एवम् काँगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

⇒ जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

⇒ संजौली और बद्दी से हेलीटेक्सी का संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा।

⇒ काँगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के 'Tourism Capital' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:-

⇒ International standard के गोल्फ कोर्स का निर्माण।

⇒ स्थानीय कला एवम् संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'पर्यटक ग्राम' की स्थापना।

⇒ वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Home विकसित किए

जाएँगे।

⇒ आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिक का निर्माण।

⇒ पौंग डैम में वॉटर स्पोर्ट्स,

गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवाये जाएँगे।

4. शिक्षा में सुधार एवम्



शिकारा, कूज, यॉट इत्यादि की व्यवस्था।

⇒ बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण।

⇒ ADB के माध्यम से 1,311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत काँगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में Heritage Sites के सौन्दर्यकरण, eco

tourism एवम् पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्ययोजना।

⇒ प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवम् आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपये से "उत्कृष्ट केन्द्र" के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण एवम् विस्तार

⇒ सभी मैडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा।

⇒ 100 करोड़ रुपये की लागत से मैडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन व चम्बा के भवनों के कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण किया जाएगा तथा इनमें नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएँगे।

⇒ प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgrade करके Emergency Medicine Department स्थापित किया जाएगा।

⇒ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को "आदर्श स्वास्थ्य संस्थान" के रूप में विकसित किया जाएगा।

⇒ मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर के लिए एक 'Centre of Excellence' व Nuclear Medicine Department की स्थापना।

⇒ सभी मैडिकल कॉलेजों में PET Scan सुविधा।

⇒ स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी Quality की दवाईयाँ, मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए "Himachal Pradesh Medical Services Corporation" की स्थापना।

⇒ टाईप-1 शूगर से पीड़ित

आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार

⇒ Qualitative शिक्षा सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी।

⇒ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल" खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले

बजट के मुख्य बिन्दु

जाएँगे।

⇒ प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की access प्रदान की जाएगी।

⇒ महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा Special Placement Drive का आयोजन।

⇒ शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने तथा Information and Communication Technology उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना, 10 हजार मेधावी छात्रों को Tablets, 762 स्कूलों में 'ICT योजना' के अन्तर्गत Digital Hardware तथा Software, 17 हजार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets तथा 40 हजार बच्चों के लिए डैस्क की व्यवस्था।

⇒ स्पोर्ट्स होस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाईट मनी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।

⇒ तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Value Added Course जैसे Robotics, Block-chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence और Machine Learning, Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things Technician आदि के

कोर्स।

⇒ प्रदेश के 11 राजकीय ITIs में ड्रेन सर्विस टैक्निशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएँगे।

⇒ विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITIs, में सुविधाओं और Infrastructure को उक्त किया जाएगा।

⇒ 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निकों में "MERITE योजना" को आगामी पाँच व 10 में लागू किया जाएगा।

⇒ कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, 'Electric Vehicles' एवम् सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500-500 युवाओं को प्रशिक्षण।

5. सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार

⇒ गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन दी जाएगी।

⇒ अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए "मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना"। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे/व्यक्ति 'Children of State' कहलाएँगे तथा इनके लिए "सरकार ही माता-सरकार ही पिता" का दायित्व निभाएगी।

⇒ इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि से मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष, बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाना, सुन्दरनगर एवम् ज्वालामुखी में "आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर" का निर्माण, सरकारी गृहों में बेहतर सुविधाएँ तथा गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर परामर्श आदि सुविधाएँ। अनाथ बच्चों को वर्ष में एक बार राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा तथा उनको हवाई यात्रा तथा 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी।

⇒ 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन।

⇒ युवाओं को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार अवसर

प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री रोज़गार संकल्प सेवा" योजना।

⇒ विधवाओं एवम् दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त।

⇒ दिव्यांगजन "राहत भत्ता योजना" के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ।

⇒ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 40 हजार नए पेंशन मामले।

⇒ 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना "मुख्यमंत्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना"।

⇒ गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए "मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान।

⇒ 20 हजार मेधावी छात्रों को Electric Scooty पर 25 हजार रुपये तक का उपदान।

⇒ "मुख्य मंत्री सुरक्षित बचपन अभियान" आरम्भ।

⇒ "नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान" का आरम्भ।

⇒ मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे तथा नशे की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा।

6. किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर

⇒ Cluster Approach के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए, एकीकृत "हिम उन्नति" योजना।

⇒ "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" के अन्तर्गत जालीदार बाड़ पर उपदान।

⇒ 'Sub-Mission on Agriculture Mechanization' के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत उपदान।

⇒ कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में Start-ups को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रतिशत की दर से ऋण।

⇒ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "हिम-गंगा"।

⇒ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित तथा स्टोरेज किए जाएँगे।

⇒ 44 मोबाईल वैनज़ के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा।

⇒ 1,292 करोड़ रुपये से "हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना" के अन्तर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास।

⇒ FPOs के सहयोग से ग्रेडिंग/पैकिंग हाऊस, व कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएँगे।

⇒ Fish Farming के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना। 120 नई ट्राउट इकाईयों सहित निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर नए मछली तालाबों का निर्माण। मछुआरों को 1,000 फेंकवा जाल (Cast Net) उपदान पर।

⇒ मछली तालाबों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत उपदान।

⇒ मछली पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु Carp Farm Gagret में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

7. आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन

⇒ "राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना" के अन्तर्गत स्वरोज़गार हेतु Dental Clinics में मशीनरी एवम् शेष पृष्ठ 7 पर.....

वर्ष 2023-24 के लिये 53,412.72 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित

औजार, मत्स्य इकाईयों, ई-टैक्सी तथा 1 मैगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स सम्मिलित। ई-टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत होगा।

⇒ “नई औद्योगिक नीति” तथा निवेशकों की सुविधा के लिए “Bureau of Investment Promotion” की स्थापना।

⇒ 2023-24 में 20 हजार करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर।

⇒ ‘एक जिला एक उत्पाद’ को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “Unity Mall” का निर्माण।

⇒ प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 50 ‘हिम-ईरा’ दुकानें स्थापित की जाएंगी।

⇒ 15 अगस्त, 2023 तक शेष बचे 1,040 ‘अमृत सरोवरों’ का निर्माण पूरा किया जाएगा।

⇒ 500 चिन्हित बस रुटों पर युवाओं को ई-वाहन चलाने के लिए परमिट।

⇒ 12 बस अड्डों का निर्माण।

⇒ हमीरपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Bus Port.

⇒ शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बड़े पार्किंग स्थलों का PPP Mode में निर्माण।

⇒ शिमला में पायलट आधार पर Multi Utility Duct का निर्माण तथा विभिन्न यूटिलिटी लाईनों को बिछाने के लिए नीति।

⇒ “प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) I व II” के अन्तर्गत 150 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 650 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 200 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य व 9 पुलों का निर्माण।

⇒ PMGSY-III के अन्तर्गत 422 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर लम्बी 45 सड़कें स्वीकृत।

⇒ 178 किलोमीटर लम्बाई के 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 2 लेन से 4 लेन स्तरोत्तर करने के लिए 4 हजार 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित।

⇒ नाबार्ड (RIDF) के अन्तर्गत 250 किलोमीटर नई सड़कों, 350 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों व 27 पुलों का निर्माण।

⇒ CRIF के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की 5 सड़कें/ पुल परियोजनाएं भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित।

⇒ “मुख्य मन्त्री सड़क एवम् रस्व-रखाव योजना” का आरम्भ।

⇒ पेयजल एवम् सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन में source sustainability के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रावधान।

⇒ प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन व करसोग में सीवरेज स्कीमों का निर्माण।

⇒ पेजयल, सिंचाई तथा सीवरेज स्कीमों के रस्व-रखाव एवम् परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 हजार पद भरे जाएंगे।

⇒ जाठिया देवी, शिमला में नए शहर का विकास।

8. डिजिटल इंडिया एवम् गर्वनेंस

⇒ प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था।

⇒ ‘मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ के लिए Whatsapp व स्वचालित Chat Bot का उपयोग।

⇒ आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाईल ऐप का ‘मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ के साथ एकीकरण।

⇒ लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुँचाने के लिए DBT Portal।

⇒ ड्रोन व ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व ड्रोन-सक्षम शासन।

⇒ “State Data Centre” का विस्तार।

⇒ परिवारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना के साथ “हिम परिवार” की स्थापना। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।

⇒ प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार।

⇒ लोकमित्र केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6,000 होगी।

⇒ प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण।

9. पैरा वर्करज़, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण

⇒ बड़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपये मासिक, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,200 रुपये, आशा वर्कर को 5,200 रुपये, मिड डे मील वर्करज़ को 4,000 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 4,400 रुपये, जल रक्षक को 5,000 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 4,400 रुपये, पैरा फ़िटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 6,000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 11,250 रुपये, पंचायत चौकीदार को 7,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,500 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, IT Teachers को 2,000 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।

⇒ पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों एवम् उपाध्यक्षों के मानदेय में 5,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद, अध्यक्ष, पंचायत समिति, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, सदस्य, पंचायत समिति, प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि।

⇒ स्थानीय नगर निकायों में महापौर एवम् उप-महापौर नगर निगम के मानदेय में 5,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम् पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उप-प्रधान एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि।

⇒ मनरेगा दिहाड़ी में 28 रुपये की बढ़ौतरी की जाएगी।

इससे लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

⇒ “मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना” के अन्तर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेडी-फ़डी वाले इत्यादि को 50 हजार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

10. अन्य

⇒ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधान सभा क्षेत्र 2 करोड़ 10 लाख रुपये होगी।

⇒ ‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया गया।

⇒ ‘विधायक प्राथमिकता योजनाओं’ के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

⇒ सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ‘Flying Squad’ का गठन।

⇒ HRTC द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS based व्हीकल लोकेशन ऐप।

⇒ राजस्व विभाग में Online Registration के कार्य को पूरे प्रदेश में किया जाएगा।

⇒ ‘स्वामित्व योजना’ को शेष बचे जिलों में मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

⇒ “हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972” में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया जाएगा।

⇒ लाहौल-स्पिति व किन्नौर जिलों में मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर राडार स्थापित किए जाएंगे।

⇒ ‘आपदा मित्र योजना’ के अन्तर्गत बाढ़, भूस्खलन व भूकम्प की आशंका वाले जिलों में 1,500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

⇒ Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए

जिला स्तरीय समीतियों का गठन।

⇒ “Mukhya Mantri Green Cover Mission” के अन्तर्गत जलवायु अनुकूल हरित आवरण।

⇒ आम जनता की सुविधा व प्रक्रिया में सरलीकरण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश भू-कोड व भू-अभिलेख मैनुअल का संशोधन।

⇒ शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा।

⇒ अपराधों तथा खनन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ड्रोनज़ का प्रयोग।

⇒ प्रदेश की संस्कृति एवम् कला के प्रचार व प्रसार के लिए राज्यों के प्रमुख शहरों में “हिमाचल उत्सव” का आयोजन।

⇒ 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती।

11. अतिरिक्त संसाधन
⇒ GST मुआवज़े के घाटे को कम करने के लिए “GST Revenue Enhancement Project”।

⇒ ‘सद्भावना योजना 2023’ के अन्तर्गत व्यापारियों, निर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों को निपटारा जाएगा।

⇒ आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव।

⇒ शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये “दूध सेस”। जिसका प्रयोग दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा।

⇒ बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर ‘वॉटर सेस’।

तालिका-III

IV. व्यय का विश्लेषण						
राज्य के व्यय का मानकवार का विवरण कुल व्यय में प्रत्येक मानक के प्रतिशत हिस्से सहित नीचे दर्शाया गया है:						
कुल व्यय में प्रतिशतता के रूप में मानकवार व्यय का विवरण						
	वास्तविक 2021-22	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2022-23	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2023-24	कुल का प्रतिशत
क. मानकवार विवरण	42416.73	90.27	47743.22	92.95	48752.04	91.27
1. वेतन	10907.56	23.21	13297.03	25.89	14099.52	26.40
2. मजदूरी	183.54	0.39	205.80	0.40	246.07	0.46
3. सहायता अनुदान (वेतन)	1687.79	3.59	1661.17	3.23	1798.58	3.37
4. सहायता अनुदान (अवेतन)	2459.74	5.23	2068.84	4.03	2335.68	4.37
5. सहायता अनुदान (पूँजी परिसम्पत्तियाँ)	833.26	1.77	886.16	1.73	779.97	1.46
6. पेंशन	6398.91	13.62	7790.20	15.17	8693.78	16.28
7. ब्याज	4640.79	9.88	5104.64	9.94	5562.01	10.41
8. रख रखाव	2056.04	4.38	3009.59	5.86	2774.88	5.20
9. मुख्य निर्माण कार्य	5563.93	11.84	5261.59	10.24	4726.58	8.85
10. निवेश	352.36	0.75	288.12	0.56	228.11	0.43
11. ऋण	4765.25	10.14	5439.39	10.59	5506.35	10.31
12. उपदान	1187.99	2.53	1256.84	2.45	1244.28	2.33
13. सामाजिक सुरक्षा पेंशन	915.13	1.95	999.78	1.95	1266.77	2.37
14. विद्युत प्रभार	464.43	0.99	474.05	0.92	474.05	0.89
ख. स्थापना सम्बन्धित	490.87	1.04	511.04	0.99	479.74	0.90
(क) यात्रा व्यय	25.19	0.05	47.75	0.09	40.71	0.08
(ख) कार्यालय व्यय	200.48	0.43	180.96	0.35	158.67	0.30
(ग) मोटर वाहन (बाह्य स्रोत वाहन/पेट्रोल/मुरम्मत)	58.11	0.12	63.19	0.12	51.66	0.10
(घ) शिक्षा प्रतिपूर्ति	172.52	0.37	185.24	0.36	179.75	0.34
(ङ) वर्दियाँ	3.65	0.01	3.89	0.01	4.49	0.01
(च) किराया, कर एवं उपकर	29.65	0.06	28.63	0.06	43.35	0.08
(छ) स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.28	0.00	1.58	0.00	1.13	0.00
ग. अन्य	4081.59	8.69	3110.50	6.06	3196.35	5.98
योग (क+ख+ग):	46989.18	100.00	51364.76	100.00	53412.72	100.00

नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए युवाओं के सहयोग से “प्रधाव” अभियान की शुरुआत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने समाज एवं विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की उभरती समस्या से लड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के सहयोग से “प्रधाव” अभियान की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए 16-25 वर्ष की आयु के युवाओं के विचारों को एकत्रित करना है।

अभियान की शुरुआत 23 फरवरी, 2023 को पुलिस मुख्यालय, शिमला में विचार-मंथन सत्र के साथ हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। समाज के जानकार सदस्यों की एक ज्यूरी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से लड़ने के लिए 5 समस्या कथन दिए। इन्हें अब “प्रधाव” अभियान के अगले चरण के लिए विषयवस्तु के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा पांच विषयों के विमोचन के साथ 13 मार्च, 2023 को प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया। केवल हिमाचल निवासी और हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से अध्ययनरत छात्र ही इस प्रतियोगिता के लिए पात्र हैं। पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आधार नंबर और जी मेल खाता होना अनिवार्य है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2023 है। योग्य छात्र इस आयोजन में भाग ले सकते हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट www.hp.police.gov.in पर लॉग इन करके या निम्न लिंक का अनुसरण करके अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर सकते हैं: <https://form.gle/q991QjrS5nCNTueT9>।

पांच विषय इस प्रकार हैं:

1. राज्य में बड़े पैमाने पर नशा, क्यों और कैसे?

2. नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए रणनीतियां

3. नशीली दवाओं की अपूर्ति में कमी के लिए रणनीतियां

4. पुनर्वसन और पुनर्समायोजन के लिए सर्वोत्तम रणनीतियां

5. नशीली दवाओं के खिलाफ मजबूत तंत्र का विकास करना और बिखरे हुए परिवारों के मुद्दों को संबोधित करना।

प्रस्तावों को और अधिक परिष्कृत करने के लिए क्रमशः 10 मई 2023 और 24 मई 2023 के लिए एक जिला स्तर और रेंज स्तर की प्रतियोगिता की योजना बनाई गई है। आयोजन का भव्य समापन 26 जून 2023 को शिमला में “मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तराष्ट्रीय दिवस” के अवसर पर निर्धारित किया गया है। उस दिन तीन सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों को चुना जाएगा और 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 75,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

ओल्ड पैन्शन बहाली के प्रचार-प्रसार पर 18 दिनों में 53,66,951 रुपये खर्च किये सुक्खु सरकार ने

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पैन्शन योजना बहाल कर दी है। क्योंकि यह चुनावी वायदा और मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में इसे लागू करने का वायदा किया गया था। इस आशय का फैसला 13 जनवरी को लिया गया था। इस फैसले को प्रचारित प्रसारित करने के लिये सरकार ने 31 जनवरी तक 18 दिनों में 53,66,951 रुपये समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य स्थानीय चैनलों के माध्यम से विज्ञापनों पर खर्च किये हैं। यह जानकारी 16-03-2023 को भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दी है। 24 समाचार पत्रों और चार स्थानीय चैनलों में यह विज्ञापन जारी किये गये हैं। सरकार की विज्ञापन नीति पिछली सरकार के समय से ही विवादित रही है। इस सरकार में भी यह विवाद बना हुआ है और अब तो मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय और प्रैस परिषद कुछ मामलों में यह स्पष्ट फैसले दे चुकी है कि विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा सरकारी धन है और उसके आबंटन में पक्षपात नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों पंजाब सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना का विज्ञापन कुछ बाहर के प्रदेशों के अखबारों में देने की बात आयी थी। सरकार यह विज्ञापन देना चाहती थी इस पर शायद दस करोड़ खर्च होने थे। लेकिन संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि यह योजना पंजाब के लिये है। इसका प्रचार-प्रसार दूसरे प्रदेशों में पंजाब के पैसे से नहीं किया जा सकता। यह प्रकरण यहां इसलिये प्रसंगिक हो जाता है की पुरानी पैन्शन हिमाचल के कर्मचारियों को मिली है। प्रदेश सरकार का यह अपना फैसला है और सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित है। क्या इस फैसले को इस तरह विज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाना आवश्यक है। हिमाचल में पर्यटन को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित-प्रसारित किये जाने की आवश्यकता हो। फिर जिस तरह की वित्तीय स्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है बढ़ते कर्ज के कारण हालात श्रीलंका जैसे होने की आशंका स्वयं मुख्यमंत्री व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में क्या इस तरह के खर्चों को जायज ठहराया जा सकता है शायद नहीं। यह ठीक है कि हर सरकार अपना प्रचार-प्रसार चाहती है। हिमाचल में भी यह चलन चल पड़ा है की सरकारें मीडिया मंचों के माध्यम से श्रेष्ठता के तमगे लेने की दौड़ में रहती है और इसके लिए उन समाचार पत्रों या मीडिया चैनलों का सहारा लिया जाता है जिनका प्रदेश में शून्य प्रभाव होता है। अभी जिन समाचार पत्रों और चैनलों को यह विज्ञापन जारी किये गये हैं यदि उनके चुनावी आकलन सही उत्तरते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कभी न बनती। यह कड़वा सच है कि जनता की बात करने वाले और सरकार के

✓ डॉ. जनक के सवाल के जवाब में आयी जानकारी
✓ क्या कठिन वित्तीय स्थितियों के चलते यह प्रचार-प्रसार आवश्यक था।

फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा करने वाले सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे लोगों को सरकार का विरोधी करार देकर उनकी जबान बन्द करने का प्रयास किया जाता है। उनके विज्ञापन बन्द करके उनके प्रकाशनों को बन्द करवाने का प्रयास किया जाता है। पिछली सरकार के वक्त भी विज्ञापनों की जानकारी मांगने का प्रश्न विधायक राजेन्द्र राणा और आशीष बुटेल की हर सत्र में आता रहा है और जयराम सरकार का अन्तिम सत्र तक “सूचना एकत्रित की जा रही है” का जवाब देकर ही प्रश्न टाला है। स्वभाविक है कि किसी प्रश्न का उत्तर लगातार तभी टाला जाता है जब उसमें कुछ घपला हुआ होता है। यह जवाब टालने का ही प्रयास है कि वह सरकार सारे दावों के बावजूद सत्ता

से बाहर हो गयी। आज ऐसा लग रहा है कि सुक्खु सरकार की कुछ मामलों में जयराम सरकार के ही पद चिन्हों पर चल पड़ी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण से अधिक नहीं करने की नीति पिछली सरकार की भी थी और यह सरकार उसी पर अमल कर रही है इसलिए भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की फाइलों पर मुख्यमंत्री सचिवालय में भी महीनों तक कोई कारवाई नहीं हो रही है। पिछली सरकार के वक्त विज्ञापनों को लेकर जो सवाल पूछा गया था और जवाब टाला गया यदि उसी मामले की इमानदारी से पड़ताल की जाये तो बहुत कुछ चौंकाने वाला सामने आयेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग सरकार का अति महत्वपूर्ण विभाग है। क्योंकि सूचना रखना और जन से संपर्क बनाना ही इसका दायित्व

है। लेकिन संयोगवश यह विभाग यही काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी तक भी विभाग में विभिन्न समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं है। जबकि भारत सरकार ने दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र

और वेब पोर्टलों के लिए पीआईबी के माध्यम से कुछ मानक तय कर रखे हैं और छोटे पत्रों के लिये अपनी साइट का होना जरूरी कर रखा है ताकि वह संस्था और मुद्रण कि कुछ बाधयताओं से मुक्त रह सकें। लेकिन प्रदेश का यह विभाग अभी भी भारत सरकार के मानकों का अनुसरण न करके विज्ञापनों को और पुरस्कार के रूप में प्रयोग कर रहा है। यदि यही चलन जारी रहा तो इससे सरकार को ही नुकसान होगा यह तय है।

प्रश्नकर्ता का नाम	डॉ० जनक राज (भरमौर)
सम्बन्धित मन्त्री	मुख्य मन्त्री
प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13.01.2023 को सरकार द्वारा पुरानी पैशन योजना बहाली की अधिसूचना के बाद से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक विज्ञापनों पर (समाचार-पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य स्थानीय चैनलों के माध्यम से) मु० 53,66,951/-रुपये की धनराशि व्यय की गई। व्यौरा अनुबन्ध-क पर संलग्नित है।	दिनांक 13 जनवरी, 2023 को सरकार द्वारा पुरानी पैशन योजना बहाली की अधिसूचना के बाद से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक विज्ञापनों पर (समाचार-पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य स्थानीय चैनलों के माध्यम से) मु० 53,66,951/-रुपये की धनराशि व्यय की गई। व्यौरा अनुबन्ध-क पर संलग्नित है।

व्यवस्था परिवर्तन को यदि परिभाषित न किया गया तो यह कहीं अराजकता का पर्याय न बन जाये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुक्खु को सत्ता संभाले तीन माह हो गये हैं। इन तीन महीनों में कोई बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति को छोड़कर और कोई महत्वपूर्ण फैसला प्रशासनिक स्तर पर नहीं हुआ है। पूर्व मुख्य सचिव 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थे इसलिये उनके स्थान पर नयी नियुक्ति होनी ही थी। इस पद पर जिस अधिकारी को तैनात किया गया है वह वरीयता में चौथे स्थान पर था। पूर्व सरकार में वह वित्त विभाग की कमान संभाले हुये थे। अब सुक्खु सरकार पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबन्धन के आरोप लगातार लगा रही है। यह आरोप स्वतः ही वित्त विभाग का प्रबन्धन कर रहे अधिकारियों पर भी लग जाते हैं। ऐसे में जब यही अधिकारी प्रशासन के शीर्ष पर वरिष्ठों को नजरअन्दाज करके बिठा दिया तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि सही में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बजट का आकार कम करके गारंटीयां पूरी करने का प्रयास किया जायेगा। इसी परिवर्तन के प्रभाव हर कांग्रेस नेता बजट दस्तावेजों का अध्ययन किये बिना

बजट की प्रशंसा कर रहा है। सुक्खु सरकार ने पिछली सरकार के दौरान खोले गये करीब 900 संस्थानों को पहले ही दिन डिनोटिफाई करने के आदेश कर दिये थे। भाजपा ने इस फैसले पर आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में रोष रैली निकाली। प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका तक दायर हो गयी। बजट सत्र में भाजपा ने इस मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया। तीन दिन प्रश्नकाल इस हंगामे की भेंट चढ़ गया और तब सरकार इस पर बहस के लिये तैयार हो गयी और जवाब दिया कि जहां आवश्यकता होगी वहां संस्थान खोल दिये जायेंगे। सरकार के इस फैसले के बावजूद भाजपा अपने स्टैंड पर कायम है। अधिकारियों/कर्मचारियों के तबादले न करने का ऐलान इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन को अमली जामा पहनाने की शुरुआत के रूप में किया था। लेकिन इस ऐलान के बाद यह तबादले लगातार हो रहे हैं। बल्कि अराजकता की हद तक जा पहुंचे हैं। विधायक रवि ठाकुर का ब्यान और आरोप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया है। बल्कि रवि ठाकुर को यह मसला कांग्रेस अध्यक्ष के संज्ञान में भी लाना पड़ा है। आरोप है कि अधिकारी तत्परता से काम नहीं कर

रहे हैं। यह आरोप कितना प्रमाणिक रहा है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव को निर्देश जारी करने पड़े हैं। कुल मिलाकर एक अराजकता जैसी स्थिति बनती जा रही है क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन परिभाषित नहीं किया गया

है। मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के प्रति कितने गंभीर हैं इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बजट भाषण में भी कई बार इसका जिक्र किया गया। ऐसे में यदि समय रहते इस व्यवस्था परिवर्तन को परिभाषित नहीं किया गया तो वह सरकार की सेहत पर भारी पड़ेगा।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
CHIEF MINISTER OFFICE
(SECTION-A)

No. PPS-cum-Spl. Secy/CM Office/2023 Dated, Shimla-2, the 14 MARCH, 2023

OFFICE ORDER

It has been brought to the notice of Hon'ble Chief Minister that approved transfer proposals are not being implemented promptly by the respective Departments, due to which there is a huge resentment among the public representatives, for which the Hon'ble Chief Minister has taken a strict cognizance.

I have been directed to convey that after sending the approved transfer proposals to the respective departments/offices, it is the responsibility of the respective department/office to implement the same. If the approved transfer proposals are not feasible, the same must be communicated to this office through proper channel within 7 days positively.

To streamline the two-way communication process, one Nodal Officer, not below the rank of Superintendent Grade-I at Directorate/Equivalent level and Branch Officer at Secretariat level will liaise with the designated branch in the O/o Hon'ble Chief Minister. For any delay beyond 7 days, the reason shall be reported to the Hon'ble Chief Minister's office, in writing.

For the transfer proposals which are implementable, Implementation Report must reach this Office within 7 days. This shall be the personal responsibility of the Nodal Officer.

It is requested that all the ADs and HoDs may please monitor the progress of the implementation of the transfer proposals and send action taken report to this office.

This has the approval of the Hon'ble Chief Minister.

Pr. PS-cum-Spl. Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated: Shimla-02 March, 2023

Copy to:

- All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
- All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
- All the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh.

(Vivek Bhatia)
Pr. PS-cum-Spl. Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh